रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 2019/भाद्र 9, 1941
No. 500] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 2019/BHADRA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2019

सं. 38/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 615(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन **प्ररूप आईटीसी-04** में चालान के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे की उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियम के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन **प्ररूप आईटीसी-04** देने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून, 2019 तक की तिमाही के लिए **प्ररूप आईटीसी-04** की क्रम संख्या 4 में, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए ऐसे माल के संबंध में सभी चालानों के ब्यौरे देंगे, जो कर्मकार से वापस प्राप्त नहीं हुआ है या जिसका छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के स्थान से प्रदाय नहीं किया गया है।

[फा.सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2019

No. 38/2019–Central Tax

G.S.R. 615(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to furnish the details of challans in **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), read with section 143 of the said Act, as the class of registered persons who shall follow the special procedure such that the said persons shall not be required to furnish **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the said rules for the period July, 2017 to March, 2019:

Provided that the said persons shall furnish the details of all the challans in respect of goods dispatched to a job worker in the period July, 2017 to March, 2019 but not received from a job worker or not supplied from the place of business of the job worker as on the 31st March, 2019, in serial number 4 of **FORM ITC-04** for the quarter April-June, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.31 17:32:43 +05'30'